शासन की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

छत्तीसगढ़
पंचायत नेटवर्क
(सीजी-पंच)

MSSVP | unicef for every child

महत्वपूर्ण संपर्क

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

व्यक्तिगत विवरणी

नामः————————————————————————

पदनामः——————————————————————

पंचायत का नामः————————————————————

जनपदः———————————जिलाः——————————

आवासीयपताः———————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

फोन नं0:——————————————————————

मोबाइलः————————————————————————

ब्लड ग्रुपः——————————————————————

आकष्मिक संपर्क नं0:——————————————

मातृत्व सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना

उद्देश्यः—संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु, मृत्यु दर मे कमी लाना।

हितग्राहीः—सभी गर्भवती महिलाएं।

लाभः—

- ग्गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर रू0 1400/—
- गर्भवती माता को स्वास्थ केन्द्र तक लाने के लिए अस्पताल से वाहन की मुफ्त सुविधा। डायल 102

शर्तः—सरकारी अथवा निजी अस्पताल में प्रसव कराकर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

क्रियान्वयन विभागः–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

संपर्क

अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा दें

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना

उद्देश्यः

- गर्भवती महिला का पंजीयन, स्वास्थ्य जांच तथा बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- मजदूरी की क्षतिपूर्ति के रूप में नकद राशि ताकि गर्भवती महिलाएं जन्म के पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें।
- गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ्य रहने के आचरण में सुधार लाना।

पात्राता एवं शर्तेंः–

- ऐसी सभी गर्भवती महिलाएं जिन्होनें पहली बार गर्भधारण किया हो। केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

- केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं लोक उद्यम में कार्यरत महिलएं इस योजना लाभ के पात्र नहीं होंगी।
- गर्भपात/मृत जन्म के मामले में लाभार्थी किसी भावी गर्भधारण की स्थिति में शेष किस्तों का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

लाभः—पहले बच्चे के गर्भधारण पर 5000/— रूपये की प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में।

पहला किस्त	रू 1000	गर्भ पंजीयन कराने पर
दुसरा किस्त	रू 2000	छः माह के अन्दर दो स्वास्थ जांच पूर्ण करने पर
तीसरा किस्त	रू 2000	प्रथम चक्र 0 से साढ़े तीन माह का टीकाकरण पूर्ण करने पर।

क्रियान्वयन विभागः–महिला एवं बाल विकास

सम्पर्कःआंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी

आवश्यक कागजातः मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना

उद्देश्य:बच्चों के बीच हृदय रोग की पहचान करना एवं आवश्यक चिकित्सा हेतु रेफर करना।

लाभार्थीः 0–15 वर्ष के सभी हृदय रोग पीड़ित बच्चे

सहायता राशिः पीड़ित सभी बच्चों को रोग की जटिलता के आधार पर अलग–अलग धनराशि वित्तीय सहायता के रुप में प्रदान की जाती है:

हृदय के साधारण ऑपरेशन के लिए	रु. 1 लाख

ह्रदय के जटिल ऑपरेशन के लिए	रू. 1.5 लाख
कोरोनरी भाल्व बदले जाने की स्थिति में	रू. 1.8 लाख
दिल का स्टन्ट बदलवाने के लिए	रु 0.50 लाख
अस्पताल से छुट्टी बाद घर पहुंच सेवा	निःशुल्क
चिकित्सक द्वारा गृह भ्रमण कर फॉलोअप	निःशुल्क

शर्तः सहायता राशि मरीज के खाते में न देकर सीधे अस्पताल के खाते में भेजा जावेगा

चिकित्सा सुविधा राज्य शासन द्वारा सुचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से दी जायगी।

आवेदन प्रक्रियाःइस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के वेवपोर्टल ीजजचरूध्ध्दंअरममअंदण्बहण्दपबण्पदध्इंसीतपकंलपर ऑनलाईन आवेदन

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर उसकी हार्ड कापी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा राज्य नोडल अधिकारी के

पास जमा करना होगा

आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए http://navjeevan.cg.nic.in/baalhriday/CaseStatus.aspx पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक का आधार कार्ड,
- राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा
- राशन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारेंटी योजना (मनरेगा)

उद्देश्यः– देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना।

हितग्राहीः– ग्रामीण क्षेत्र में कार्य इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य।

मिलने वाले लाभः– अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में इच्छुक परीवार को 100 दिवस तक काम एवं काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता।

मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक अथवा डाकघर खाते में

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

उद्देश्यः—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन—यापन करने हेतु सहयोग देना।

पात्रताः—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध।

मिलने वाले लाभः—60 से 79 आयुवर्गः— रू0 350 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या ऊपरः— रू0 650 प्रतिमाह। सीधे बैंक अथवा डाकघर खाते में।

चयन प्रक्रियाः— ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

आवश्यक कागजातः—आयु का प्रमाण एवं गरीबी रेखा प्रमाण

संपर्क करेंः— ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव एवं संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंन्शन योजना

उद्देश्यः—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन—यापन करने हेतु सहयोग देना।

पात्राताः—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिलाएं।

लाभः—रू.350 प्रतिमाह सीधे बैंक अथवा डाकघर खाते में।

चयन प्रक्रियाः— ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित जनपद पंचायतों को आवेदन

स्वीकृति / अस्वीकृति के अधिकार हैं।

आवेदन के साथ संलग्न करें:—आयु का प्रमाण, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं गरीबी रेखा प्रमाण।

संपर्क करें:— ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी. जनपद पंचायत

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंन्शन योजना

उद्देश्य:—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन—यापन करने हेतु सहयोग देना।

पात्राता:— गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति।

लाभ:— रू.500 प्रतिमाह सीधे बैंक अथवा डाकघर खाते में।

चयन प्रक्रिया:—ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद

पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित जनपद पंचायतों को आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

आवश्यक दस्तावेजः– आयु का प्रमाण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र

संपर्क करेंः– ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी. जनपद पंचायत

मुख्यमंत्री पेंशन योजना

उद्देश्य :–राज्य के वंचित तबके के वृद्ध, विधवा परित्यक्ता को जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय करना।

यह योजना वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजना के अतिरिक्त योजना होगी।

पात्रताः–

- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।
- आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना,

2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो।

लाभः– रू .350 प्रतिमाह (राज्य योजना)

चयन प्रक्रियाः– ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

उद्देश्य :–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सहयोग देना।

पात्राताः–

- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
- 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

लाभः—रू .350 प्रतिमाह (राज्य योजना)

चयन प्रक्रियाः—नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति कअधिकार हैं।

सुखद सहारा योजना

उद्देश्यः—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।

पात्राताः—

- 18—39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।

- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें।

लाभः– रू 350 प्रतिमाह (राज्य योजना)

चयन प्रक्रियाः–नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

उद्देश्यः–तेंदुपत्ता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

लाभः–

- सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में दिये जाएँगे कुल मिलाकर 4 लाख रुपए
- दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए की सहायता राशि
- आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपए की सहायता

राशि दी जाएगी।

अगर आयु 50 से 59 वर्ष के बीच है

- सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपए
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए
- दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रूपए
- आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि परिवार के नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दी जाएगी।

पात्रताः–

- इस योजना के लिए सभी पंजीकृत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार पात्र होंगे।
- मरने वाले अथवा विकलांग होने वाले तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु 59 वर्ष या कम होनी चाहिए।

क्रियान्वयनः– छत्तीसगढ़ वन विभाग एवं छत्तीसगढ लघु वनोपज सहकारी संघ लि0

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाएं

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली

उद्देश्य – राज्य के निवासियों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना।

हितग्राही – अनत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार।

1. अन्त्योदय परिवार – इस श्रेणी में, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले वैसे परिवार जिसका मुखिया विधवा, निराश्रृत अथवा विकलांग हो और जिनके पास आय के कोई स्थायी साधन नहीं हो मिलने वाला लाभः– एक रूपये किलो की दर से 35 किलो खाद्यान्न, 13 रूपये 50 पैसे में एक किलो शक्कर, निःशुल्क दो किलो रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक दी जाती है।

2. प्राथमिकता परिवार – इस श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार आते हैं।

मिलने वाला राशनः– हर महीने एक रूपये के दर से सात किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न, 13 रूपए 50 पैसे में एक किलो शक्कर, अनुसूचित क्षेत्राों म्ंो दो किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में एक किलो रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नामक निःशुल्क दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया :– विहित आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना

आवश्यक कागजातः–आवेदक का आधार कार्ड एवं गरीबी रेखा प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।